



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NORTH/B/121625/2293445

एएआई/ आर.एच. व्यू / एम्आर / एबीएम / एनओसी / 2026/40/123-126

मालिक का नाम एवं पता M/s Signatureglobal India Limited दिनांक/DATE: 06-01-2026
Unit 101, Ground Floor, Tower -A, Signature
OWNERS Name & Address Tower, South City-1, Gurugram, Haryana - वैधता/ Valid Up to: 05-01-2034
122001

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	PALM/NORTH/B/121625/2293445
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Vineet Kumar
स्थल का पता / Site Address*	Construction Setting up Residential Colony under NILP Policy - 2022 at land measuring at land measuring 12.40 acres having Rectangle No./ 23, 28, 29 in the revenue estate of Fazilpur Jharsa, Sector - 71, Gurgaon, Haryana, Gurgaon, Gurgaon, Haryana
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 24 28.18N 77 01 22.90E, 28 24 28.67N 77 01 22.90E, 28 24 30.68N 77 01 27.78E, 28 24 27.37N 77 01 27.82E, 28 24 28.32N 77 01 27.83E, 28 24 28.73N 77 01 27.84E, 28 24 24.47N 77 01 29.87E, 28 24 26.44N 77 01 29.89E, 28 24 27.42N 77 01 30.27E, 28 24 26.45N 77 01 30.29E, 28 24 24.53N 77 01 35.24E, 28 24 22.60N 77 01 35.26E, 28 24 30.86N 77 01 37.53E, 28 24 22.58N 77 01 37.73E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	226.21 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	396.21 M



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NORTH/B/121625/2293445

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है, तथा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से अधिकतम बारह साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue & shall be extended for a maximum period of twelve years from the date of its issue.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रृंखला 'बी' पार्ट I सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website:

www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Chillarki, I.G.I Airport, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sampla विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे), अनुसूची- VI (हवाई अड्डों से दूर स्थित सीएनएस सुविधाएं) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the Chillarki, I.G.I Airport, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sampla Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only), Schedule-VI (CNS Facilities located away from Airports) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR 770(E)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NORTH/B/121625/2293445

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.






भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NORTH/B/121625/2293445

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	उत्पल दत्ता बरुआ/Utpal Dutta Baruah महाप्रबंधक (एटीएम)/General Manager (ATM) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र/Regional Headquarter, NR एन.ए.टी.एस. परिसर आई.टी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली 37 VATS Complex IGI Airport, New Delhi-110037
द्वारा तैयार Prepared by	 06/01/2026 BHUSHAN DABAS, MGR(ATM)
द्वारा जांचा गया Verified by	 06/01/2026 Parkash Sharan Jt GM(ATM)

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.acro

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर मे)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Chillarki	35614.16	78.31
I.G.I Airport	19609.32	204.14
Rohini Heliport	38191.24	183.62
Safdarjung Airport	26273.86	221.03
Sampla	49791.11	155.34
NOCID	PALM/NORTH/B/121625/2293445	



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

फाइल नं. :- एएआई/आरएचक्यू/एनआर/एटीएम/एनओसी/2025/ 40/123-126

1. The Distt. Town Planner, Gurugram, HUDA Complex, Sector-14, Gurugram (HR).
2. The Chief Executive Officer, Delhi International Airport, New Uddan Bhawan, Terminal -3, IGI Airport, New Delhi-110037.
3. Guard File.

